

संपरिवर्तन आदेश

यत् श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री सतपाल जाति स्वामी जरिये कोषाध्यक्ष महावीर एज्युकेशन एण्ड सोसियल वेल्फेयर ट्रस्ट साकिन वार्ड नं० 16 नई मण्डी घड़साना, तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर (राज.) ने अपनी खातेदारी अधिभूति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 (वन) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसका संपरिवर्तन निम्न शर्तों के साथ किया जाता है जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अधिभारी का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री सतपाल जाति स्वामी जरिये कोषाध्यक्ष महावीर एज्युकेशन एण्ड सोसियल वेल्फेयर ट्रस्ट साकिन वार्ड नं० 16 नई मण्डी घड़साना, तहसील घड़साना जिला श्री गंगानगर (राज.)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा	चक 24 ए.एस.सी. पं० नं० 84/22, का किला नं० 15/0.250 है०, कुल=0.250 हेक्टर कमाण्ड (2500 वर्ग मी०)
क	ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	चक 24 ए.एस.सी. गान पंचायत 24 ए.एस. सी. तहसील घड़साना ।
ख	भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल हेक्टर में	चक 24 ए.एस.सी. पं० नं० 84/22, का किला नं० 15/0.250 है०, कुल=0.250 हेक्टर कमाण्ड (2500 वर्ग मी०)
ग	भू-रूपान्तरित क्षेत्र	चक 24 ए.एस.सी. पं० नं० 84/22, का किला नं० 15/0.250 है०, कुल=0.250 हेक्टर कमाण्ड (2500 वर्ग मी०)
घ	प्रत्येक खसरा नं. का संपरिवर्तित क्षेत्रफल	चक 24 ए.एस.सी. पं० नं० 84/22, का किला नं० 15/0.250 है०, कुल=0.250 हेक्टर कमाण्ड (2500 वर्ग मी०)
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कृषि से अकृषि किया जाता है।
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग (एक पर्चा) संलग्न है।		
5.	संदेय प्रीमियम की दर	05 रुपये प्रति वर्ग मीटर

Lesio
उपाजला कलेक्टर

6	संपरिवर्तन शुल्क जमा कराने की चालान की संख्या व दिनांक नोट :- जमा राशी = 12500 निर्माण = 0000 भूमि खाली है। योग = 12500	राशि संपरिवर्तन शुल्क 12500/-रुपये चालान नं० 1731866 दिनांक 28.03.2014 को 12500/- रु राजकोष में जमा।
7.	चालान की संख्या व दिनांक (शस्ति कोई हो)	N/A
8.	चालान की संख्या व दिनांक (ब्याज कोई हो)	N/A
9.	क्या कोई आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया।	-
10.	अन्य विशिष्टता यदि कोई हो	-
11.	उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-	
1.	उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि व भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जावेगा।	
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहित कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समवृहत् हो जावेगा।	
3.	कॉलम सं. 4 में अंकित प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा।	
4.	प्रसागिक भूमि पर पहुंच मार्ग के लिए 12 मीटर मार्गाधिकार हेतु रास्ते के मध्य से 6 मीटर भूमि छोड़ने हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक भूमि निःशुल्क समर्पित करनी होगी। निःशुल्क समर्पित की जाने वाली भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य जिसमें बाउण्ड्री वाल भी शामिल है, नहीं किया जायेगा।	
5.	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित भूमि से पानी के निकाल के उचित प्रावधान किये जायेंगे। जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।	
6.	इण्डियन रोड करिंस के मापदण्डों के अनुसार सड़क सीमा को छोड़कर निर्माण करना होगा। आवेदक द्वारा आवंटित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जायेगा।	

क्रमांक-राजस्व/भूरू./14/ 513

प्रतिलिपि:-

- 1 श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर।
- 2 गान्ध्यायत 24 ए.एस.सी.।
- 3 श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी श्री सतपाल जाति स्वामी जरिये कोषाध्यक्ष महावीर एज्युकेशन एण्ड सोसियल वेलफेयर ट्रस्ट साकिन वार्ड नं० 16 नई मण्डी घडसाना, तहसील घडसाना जिला श्री गंगानगर (राज.)
- 4 तहसीलदार घडसाना को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि संपरिवर्तन भूमि का नामान्तरण दर्ज कर नियम 11 में वर्णित तरीके से खातेदारी से उक्त रकबा कम करें।

उपखण्ड अधिकारी
जिला कलेक्टर
घडसाना
दिनांक:- 2/4/14

उपखण्ड अधिकारी
जिला कलेक्टर
घडसाना